# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0 / सम्ब0 / 2025 / 4144 दिनांक :– 07/08/2025

## सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा 37(2)के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 10.06.2023 एवं कार्यपरिषद की तत्सम्बन्धी अनुमति की प्रत्याशा मे कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10.06.2023 के अनुपालन मे **पं0 वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजूकेशन, झांसी** को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0–प्राचीन भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, तथा वाणिज्य संकाय में बी0काम0 विषयों / पाठयक्रमां में सत्र 2023–24 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1 संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 सस्था / महाविद्यलय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

3 संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली मे वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णत एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4 संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5 महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भूगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगें।

6 प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएँ अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

7 संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

8 संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।

9 महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठयक्रम में प्रवेश शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

10 संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

11 यह सम्बद्धता आदेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित स्पेशल अपील सं0–31 / 2023 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

12 College must take Sincere intrest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

कुलसचिव

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रबन्धक, **पं0 वासुदेव तिवारी कालेज ऑफ एजूकेशन, झांसी।**
2. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव